न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर

पीठासीन अधिकारीः—सुश्री निधि सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या : 83/14 निर्णय दिनांक :—20.08.2019

1. कुरड़ाराम उम्र 45 वर्ष
2. सुशील कुमार उम्र 28 वर्ष समस्त पुत्रगण गिन्नीराम समस्त जाति माली निवासीगण वार्ड नं. 25, रामगढ शेखावाटी जिला—सीकर राज.।

.....वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

.....प्रतिवादी

दावा बाबत संशोधन खाता व उद्घोषणा

उपस्थितिः— विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश नागौरा (वादी की ओर से)

—:निर्णयः—

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है कि कस्बा रामगढ की तन में एक किता काश्त भूमि खसरा नं. 78/2 रकबा 1.77 हैक्टेयर स्थित है जिसे वाद पत्र में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

विवादित आराजी का खाता पूर्व में हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार कर्त्ता खानदान में बड़ा भाई होता उसी के नाम चल व अचल सम्पतियां दर्ज होती थी। उसी के अनुसार खींवाराम के नाम दर्ज हुई। कालान्तर में खींवाराम लाऔलाद फौत हो गया जिसके पश्चात विवादित आराजी का खाता खीवांराम के छोटे भाई गिन्नीराम के नाम दर्ज होना चाहिये था लेकिन सहवन से नहीं हो सका।

वादीगण के पिता व ताऊ खींवाराम अनपढ़, गंवार व्यक्ति थे जिस कारण कभी भी विवादित आराजी के खातेदारी की ओर कभी ध्यान नहीं देने के कारण खींवाराम की मृत्यु के पश्चात् विवादित आराजी का खाता गिन्नीराम की भी मृत्यु के पश्चात वादीगण को खींवाराम की औलाद व हीरादेवी को खींवाराम की बेवाह अंकित कर दर्ज कर लिया। जिसमें भी वादीगण सं. 2 सुशील कुमार का नाम सुनिल कुमार अंकित किया है जो गलत है। जिसे संशोधन के जरिये वादीगण शुद्ध करवाने के अधिकारी है।

वादीगण गिन्नीराम की जायन्दा औलाद है तथा आरम्भ से लेकर आज तक वादीगण गिन्नीराम की ही वल्दियत अंकित करते आ रहे है। वादीगण के सभी सरकारी व गैरसरकारी संस्थान में वल्दियत गिन्नीराम अंकित चली आ रही है।

निधि सिंह
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी के खातेदार खीवाराम लाऔलाद फोत हो जाने के पश्चात् खातेदारी के समस्त विधिक अधिकार उसके छोटे भाई गिन्नीराम में समाहित होकर गिन्नीराम की मृत्यु के पश्चात् व उसकी पत्नि हीरादेवी की मृत्यु के पश्चात विवादित आराजी के खातेदारी कब्जे काश्त के समस्त विधिक अधिकार वादीगण में समाहित हो जाने के कारण वादीगण विवादित आराजी को अपने नाम उद्घोषित करवाने के अधिकारी है।

वादी ने निवेदन किया कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कदर डिक्री फरमाया जाकर वादपत्र की धारा–1 में अंकित काश्त भूमि खसरा नं. 78/12 रकबा 1.77 हैक्टेयर वाके कस्बा रामगढ़ शेखावाटी में स्थित भूमि में जरिये संशोधन वर्तमान खातेदारी निरस्त किया जाकर वादीगण का नाम गिन्नीराम की वल्दियत के साथ उद्घोषित किया जाकर तत्पश्चात राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार ने जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वादीगण ने वाद के समर्थन मे दस्तावेज प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी सम्वत 2058–61 खसरा नम्बर 78/2, प्रदर्श–2 तहसीलदार द्वारा पेश जबाब दावा, प्रदर्श–3 फर्द मौका जांच वारीसान रिपोर्ट, प्रदर्श–4 नकल जमाबंदी सम्वत् 2058–61, प्रदर्श–5 नकल जमाबंदी सम्वत 2021–24, प्रदर्श–6 नकल जमाबंदी सम्वत 2025–28, प्रदर्श–7 नकल जमाबंदी सम्वत् 2029–32, प्रदर्श–8 नकल जमाबंदी सम्वत् 2033–36, प्रदर्श–9 नकल जमाबंदी सम्वत 2037–40 प्रदर्श–10 नकल नामान्तरकरण, प्रदर्श–11ए वादी कुरड़ाराम की वोटर आई.डी. की प्रति, प्रदर्श–12ए कुरड़ाराम का ड्राईविंग लाइसेंस, प्रदर्श–13ए कुरड़ाराम का मूल निवास, प्रदर्श–14ए आधार कार्ड आदि पेश किये जो शामिल पत्रावली है एवं मौखिक बयान PW 1, PW 2, PW 3 पेश किये।

बहस सुनी गई। वादी द्वारा वाद स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया। बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया व तर्को पर मनन किया गया।

वादीगण द्वारा पेश प्रदर्श 01 व 04 जमाबंदी सम्वत 2058–61 वादीगण की वल्दियत खीवांराम अंकित हैं वादीगण द्वारा पेश प्रदर्श 5 जमाबंदी सम्वत् 2021–24, प्रदर्श 6 जमाबंदी सम्वत 2025–28, प्रदर्श 7 जमाबंदी सम्वत 2029–32, प्रदर्श 8 जमाबंदी सम्वत 2033–36, प्रदर्श 9 जमाबंदी सम्वत 2037–40 से खीवांराम के नाम खातेदार दर्ज होना साबित होता है तथा प्रदर्श 10 नामान्तरकरण की नकल से यह जाहिर होता है कि वादीगण को खातेदारी खींवाराम की वल्दियत में दिनांक 24.02.1999 को स्वीकृत कर दी गई है। पासपोर्ट, आधार कार्ड, पास–बुक(स्टेट बैंक ऑफ

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़, शेखावाटी

Scanned by CamScanner

इंडिया), ड्राईविंग लाईसेन्स व तहसीलदार रिपोर्ट से यह सिद्ध होता है कि सुशील का नाम सुनिल जमाबंदी में गलत अंकित कर दिया गया।

वादीगण द्वारा पेश तथ्यो व दस्तावेजो प्रदर्श 11ए, 12ए, 13ए, 14ए, से भी वादीगण की वल्दियत गिन्नीराम साबित होती है।

प्रदर्श 02 फर्द मौका व जांच रिपोर्ट व वारिसान रिपोर्ट से यह सिद्ध होता है कि खींवाराम व गिन्नीराम भाई थे। खींवाराम की नाऔलाद मृत्यु हो गई व गिन्नीराम के पुत्र कुरड़ाराम व सुशील कुमार का राजस्व रिकॉर्ड में खींवाराम के पुत्र दर्ज हो गया।

हिन्दु उत्तराधिकारी नियम 1956 की धारा 8 की अनुसूची के वर्ग द्वितीय के आइटम(4) के अनुसार मृतक खातेदार खींवाराम के मृतक भाई गिन्नीराम के पुत्रगण वादीगण उत्तराधिकारी है। पेश प्रदर्शो व तथ्यों से वादीगण का वाद साबित होता है।

—:आदेश:—

अतः आदेश है कि वादीगण की भूमि खसरा नं. 78/2 वाके कस्बा रामगढ़ शेखावाटी में वर्तमान खातेदारी निरस्त कर वादीगण का नाम गिन्नीराम की वल्दियत में उद्घोषित किया जाये व सुनिल कुमार के नाम के स्थान पर सुशील कुमार अंकित किया जाये। पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश आज दिनांक 20.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)

Scanned by CamScanner